

123.

प्रथम पक्ष- वडाळतम राजप  
द्वितीय पक्ष- कागुपलियत

60 दिनां से अधिक की अवधि  
समाप्त हो चुके हैं एवं किसी  
प्रकार की विधि- व्यवस्था मंग होने  
की सूचना प्राप्त नहीं है।  
अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी  
प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

D/  
19/4/23.